मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 24/01/2025

क्र. IPI/5/0041/2024/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन्स प्रा. लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर-7, जिला धार में दो चरणों में रूपये 920.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश (प्रथम चरण - रू. 496.00 करोड़, द्वितीय चरण - रू. 424.00 करोड़) से सौर ऊर्जा उत्पादन उपकरण हेतु विनिर्माण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2405280001) पर निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** परियोजना को प्लांट-मशीनरी एवं भवन में किये गये निवेश पर, रोजगार गणक को सम्मिलित कर, 30 प्रतिशत की स्थिर दर से अधिकतम रूपये 200 करोड तक उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, शर्तो के अध्याधीन 7 वार्षिक किश्तों में प्रदान की जाये। परियोजना को निर्यात गणक का लाभ पात्रता अनुसार पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना हेतु नवीन विद्युत संयोजन/ विद्यमान विद्युत संयोजन पर लिए गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना हेतु नवीन विद्युत संयोजन/ विद्यमान विद्युत संयोजन पर लिए गये अतिरिक्त विद्युत भार पर देय विद्युत शुल्क से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु छूट प्रदान की जाये।

4. **भूमि आवंटन में रियायत-** कम्पनी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर- 7 में भूमि आवंटन हेतु प्रभारित विकास शुल्क में 50% की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन उपरांत आवेदन प्रस्तुत करने पर की जाये। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता तथा म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एव भवन प्रबंधन नियम 2019 (यथा संशोधित) के अनुसार परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का आंकलन भूमि आवंटन हेतु गठित समिति द्वारा किया जाकर आवंटन हेतु कार्यवाही की जाये।

5. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ पात्रता अनुसार शर्तो के अध्याधीन प्राप्त होगा।

6. परियोजना अन्तर्गत प्रथम चरण में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 1 वर्ष के भीतर द्वितीय चरण का उत्पादन प्रारंभ करने की स्थिति में उपरोक्त स्वीकृत सुविधाएं दोनों चरणों हेतु प्रदान की जाये।

/निरंतर...

7. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

8. स्वीकृत समस्त सुविधाओं का लाभ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत निर्धारित समय-सीमा में एमपीआईडीसी को आवेदन प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगा।

9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(शाश्वत सिंह मीना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0041/2024/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 24/10/2025

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला- धार
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मेसर्स शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन्स प्रा. लि., Plot No. 155,156 Industrial Area, Sector-3, Pithampur - 454774, Dst. Dhar (M.P.) ।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग